संख्या–2522 / 14–2–2017–800 (49) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 22 नवम्बर 2017**

विषयः रामपुर–केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0 नं0–20) किमी0 3.135 की बांयी पटरी पर ग्राम–पहाड़ी के गाटा सं0–140 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे0 सरंक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 34 / 2016 / एफसी / 185, दिनांक 20–7–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय सूचनाय / अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त का निराकरण मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 27–10–2017 द्वारा शासन को निम्नवत उपलब्ध कराया गया हैः–

क0	भारत सरकार की पृच्छा	निराकरण
1	Geo-Coordinates of the cureved portion of proposed land to be diverted has not been provoded.	भू–सन्दर्भित मानचित्र के कर्व में अक्षांष व देषान्तर अंकित कराकर पार्ट–I सी–मैप में अपलोड कर दिया गया है।
2	The proposed CA fails under MDF (Medium Dense Forest) category which is not suitable for plantation.	क्षतिपूरक वनीकरण का स्थान परिवर्तन कर फार्म–II के बिन्दु संख्या–12 के (i),(iii) and (iv) में Kml file, Geo-Map of CA and CA Topo sheet is uploaded

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 27–10–2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुपालन आख्या संलग्नक सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या– (1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।